

हरियाणा सिविल सचिवालय
सचिवालय स्थापना संगठन
कार्यालय आदेश

कार्यालय के नोटिस में आया है कि हरियाणा सिविल सचिवालय के अधिकारी/ब्रांच इन्चार्ज उनके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा अवकाश आवेदन, अवकाश अवधि समाप्त होने उपरान्त सचिवालय स्थापना को भिजवाये जाते हैं, जिस कारण उनका अवकाश स्वीकृत करने में कठिनाई होती है।

2. अतः हरियाणा सिविल सचिवालय की सचिवालय स्थापना के अधीनस्थ कार्यरत सभी अधिकारियों/ ब्रांच ईन्चार्जों को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि उनके अधीनस्थ कार्यरत कोई अधिकारी/कर्मचारी चिकित्सा अवकाश पर हो तो उसका अवकाश आवेदन समय से सचिवालय स्थापना-III शाखा को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह निर्देश भी दिए जाते हैं कि यदि उनके अधीनस्थ कार्यरत कोई अधिकारी/कर्मचारी अर्जित अवकाश बारे आवेदन करता है तो उसका आवेदन अवकाश की तिथि से 15 दिन पहले तथा शिशु देखभाल अवकाश बारे आवेदन अवकाश की तिथि से 30 दिन पहले सचिवालय स्थापना-III शाखा को भिजवाना सुनिश्चित करें।

3. कृपया मामले में परम् आग्रता देवे।

दिनांक चण्डीगढ़
23.11.2021

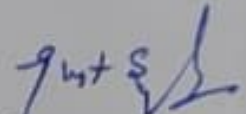
महेश्वर शर्मा
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
सचिवालय स्थापना।

पृ० क्रमांक 2/89/2021-2स्था०-III

दिनांक चण्डीगढ़ 06.12.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सभी मन्त्रीगणों/प्रशासकीय सचिवों के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक।
2. सचिव राज्य सैनिक बोर्ड के अधीनस्थ सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी।
3. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/अधीक्षक/उप अधीक्षक।


अधीक्षक स्थापना-III,
कृते: विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
सचिवालय स्थापना।